संख्या 1076/ II–2017–04(03–बजट)/2016

प्रेषक,

देवेन्द्र पालीवाल,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य कार्यकारी अधिकारी/
अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला पंचायत, देहरादून।

लघु सिंचाई अनुभाग, देहरादून, दिनांकः 01 दिसम्बर 2017 ~~नवम्बर, 2017~~

विषयः वित्तीय वर्ष 2017–18 में टी0एस0पी0 योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु धनावंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लघु सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र सं0–1623/ल0सिं0/बजट/SCSP-TSP/2017–18, दिनांक 22.11.2017 द्वारा किये गये अनुरोध के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2017–18 में जनजाति क्षेत्र उपयोजना के अन्तर्गत उपलब्ध बजट प्राविधान के सापेक्ष जनपद देहरादून के विकासखण्ड कालसी के अन्तर्गत जनजाति क्षेत्र हेतु गूल, हौज एवं पाईप लाईन का निर्माण योजनान्तर्गत निम्न योजना की अवशेष धनराशि ₹ 6.59 लाख (₹ छः लाख उनसठ हजार मात्र), योजना की वित्तीय स्वीकृति विषयक मूल शासनादेश संख्या–161/II–2016–4(03–बजट)/2016,दिनांक 28.02.2017 द्वारा निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र0 सं0	योजना का नाम/जनपद	टी0ए0सी0 द्वारा संस्तुत धनराशि	वित्तीय वर्ष 2016–17 में अवमुक्त धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1.	सा0सिं0यो0 सिलेड खड्ड से महसासा गांव व खुशाग खेड़ा क्यारी, जनपद देहरादून	10.98	4.39	6.59

2– किसी भी शासकीय व्यय हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017, वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकार प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–1 (लेखा नियम), आय–व्ययक सम्बन्धित नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत नियमों, शासनादेशों आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 के अनुदान संख्या 31 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 4702–लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय 796–जनजाति क्षेत्र उपयोजना 03–जनजाति क्षेत्र हेतु गूल, हौज एवं पाईप लाईन का निर्माण 25–लघु निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

क्रमशः......2

4— यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–610/3(150)/XXVII-(1)/2017, दिनांक 30 जून, 2017 के अनुक्रम में जारी किये जा रहे हैं।

संलग्न–अलाटमेंट आई0डी0।

भवदीय,

(देवेन्द्र पालीवाल)
अपर सचिव

संख्या 1076(1)/II–2017–04(03–बजट)/2016 तद्दिनांक।
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. महालेखाकार, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड, देहरादून।
2. अपर सचिव, समाज कल्याण, उत्तराखण्ड शासन।
3. मुख्य अभियन्ता एव विभागाध्यक्ष, लघु सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड को उनके उक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में।
4. जिलाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जनपद देहरादून।
5. अधीक्षण अभियन्ता, लघु सिंचाई वृत्त, टिहरी।
6. अधिशासी अभियन्ता, लघु सिंचाई खण्ड, देहरादून।
7. वित्त अनुभाग–4/नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अर्पण कुमार राजू)
अनु सचिव